Dept. पॉ. (H) Sem.-III
Date: 30/4/2020

राज्य सभा
(Council of States)

* राज्य सभा की परिभाषा एवं रचना
* राज्य सभा के सदस्यों की योग्यताएं
* राज्य सभा के पदाधिकारी
* राज्य सभा के अधिकार एवं कार्य
*

परिभाषा: भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था की गई है। संसद के दो सदन होते हैं - लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च और द्वितीय सदन है। भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था है, अतः संघ की इकाइयों के प्रतिनिधित्व के लिए संसद में एक सदन का होना आवश्यक है। इसी कारण भारत में द्विसदनात्मक प्रणाली अपनायी गयी है। जैसा कि राज्यसभा के नाम से ही स्पष्ट है कि यह संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और इसके सदस्य विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। यह एक स्थायी सदन है और कभी भंग नहीं होता, किन्तु इसके 1/3 सदस्य प्रति दो वर्ष बाद स्थान खाली कर देते हैं जिनकी पूर्ति नये सदस्यों से होती है।

रचना: संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से अधिक से अधिक 238 राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों की ओर से निर्वाचित और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये 12 सदस्य ऐसे होते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा इत्यादि का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रहता है। राज्यों के प्रतिनिधि अपने राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व से तथा एकल संक्रमणीय मत विधि के अनुसार होता है।

अमेरिका में सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लेकिन भारत में राज्यसभा के गठन के विषय में संविधान निर्माताओं ने एक ओर दक्षिण अफ्रीका की अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली और दूसरी ओर आयरलैंड की मनोनयन प्रणाली को अपनाया है। जहाँ अमेरिकी सीनेट में प्रत्येक राज्य बराबर संख्या में अपने प्रतिनिधियों को भेजता है, वहीं भारत के प्रत्येक राज्य को भिन्न संख्या में राज्यसभा में अपने प्रतिनिधियों को भेजने की सुविधा है। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर निश्चित की गई है।

Oxford

योग्यताएं : राज्य सभा (सदस्य) की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं —

(i) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
(ii) उसकी आयु 30 वर्ष से कम न हो;
(iii) उसमें अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए जो संसद के विधि द्वारा निर्धारित हों।

अयोग्यताएं : (i) भारत सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत लाभ का पद न ग्रहण करे।
(ii) पागल या दिवालिया न हो।
(iii) विदेशी न हो।
(iv) संसद के किसी भी विधि द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो।

वेतन तथा भत्ता एवं कार्यकाल : प्रत्येक सदस्यों का वेतन 50000 रुपया है इसके अलावा उन्हें दैनिक भत्ता, निर्वाचन संबंधी भत्ता, कार्यालय व्यय भत्ता, यात्रा भत्ता, टेलीफोन भत्ता आदि के रूप में पैसे अलग से मिलते हैं।

राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। इसे राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकते और यही राज्यसभा का कार्य एक साथ नहीं होता है।

राज्यसभा के पदाधिकारी :

भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को उप-सभापति नियुक्त करते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष है। वह इस अवधि के पूर्व भी त्यागपत्र देकर अलग हो सकता है अथवा पदच्युत किया जा सकता है। राज्यसभा प्रस्ताव पास कर उपसभापति को पदच्युत करती है, परन्तु ऐसे प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति भी आवश्यक है। उपसभापति को पदच्युत करने के लिए इसकी सूचना उसे 14 दिन पूर्व मिलनी चाहिए।

राज्यसभा के अधिकार एवं कार्य

राज्यसभा के अधिकारों को निम्नलिखित 5 भागों में बाँटा जा सकता है —

(1) **विधान संबंधी अधिकार** : धन विधेयक को छोड़कर अन्य कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधेयक तभी कानून बन सकता है जब वह संसद के दोनों से पारित हो जाए। यदि दोनों सदनों में मतभेद हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त बैठक में दोनों सदनों के सदस्यों के बहुमत से जो भी निर्णय हो जाए

वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। उदाहरण के लिए संयुक्त बैठक का आयोजन मई 1961 में दहेज-निषेध अधिनियम पर विचार करने के लिए हुई थी। क्योंकि इस पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया था। उसके बाद मई 1978 में बैंक सेवा विधेयक भी संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पारित हुआ था। राज्यसभा किसी भी साधारण विधेयक पारित करने में अधिक से अधिक 6 महीनों तक विलम्ब कर सकती है।

(2) **वित्त संबंधी अधिकार :**

वित्त संबंधी विषयों में राज्यसभा बिल्कुल अधिकारहीन है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा स्वीकृत होने पर उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा उसपर 14 दिनों के भीतर अपना विचार प्रकट करती। यदि वह ऐसा नहीं करें, तो उन्हें मानना या न मानना लोकसभा के इच्छा पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, 28 जुलाई 1977 में राज्यसभा ने वित्त विधेयक को संशोधनों के साथ लोकसभा को वापस कर दिया, परन्तु लोकसभा ने 2 अग. 1977 को राज्यसभा के संशोधन को बहुमत से ठुकरा दिया। राज्यसभा धन विधेयक या वित्त विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिन तक विलम्ब कर सकती है।

(3) **संविधान में संशोधन का अधिकार :**

संविधान में संशोधन लाने के संबंध में दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। संशोधन का प्रस्ताव पारित होने के लिए दोनों सदनों के सदस्यों का स्पष्ट बहुमत तथा उपस्थित और मत देनेवाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। चूंकि दोनों सदनों में मतभेद होने पर यह संयुक्त अधिवेशन (Joint Session) द्वारा निर्णित होगा, अतः इस क्षेत्र में राज्यसभा का अधिकार नगण्य है।

(4) **प्रशासनीय अधिकार :**

जहाँतक शासन संबंधी अधिकारों का संबंध है हम प्रायः देखते हैं कि मंत्रिमंडल, जो देश का वास्तविक शासक है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। हाँ, राज्यसभा के सदस्य भी मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। फिर भी, राज्यसभा प्रश्नों, प्रस्तावों और वाद-विवादों द्वारा मंत्रिमंडल के कार्यों पर कुछ हद तक नियंत्रण रख सकती है।

PTO

Scanned with CamScanner

(5) **विविध अधिकार** — इसके अतिरिक्त, राज्यसभा को कुछ और भी अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने का अधिकार लोकसभा के समान ही इसे भी अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार लोकसभा के समान राज्यसभा को भी प्राप्त है। महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी एक में रखना आवश्यक है। राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पास कर राज्य सूची के किसी विषय पर विधान का अधिकार संसद को दे सकती है। आपातकालीन अवस्था में राष्ट्रपति द्वारा जो भी उद्घोषणाएं होती उनका अनुमोदन लोकसभा के साथ ही साथ राज्यसभा द्वारा भी होना आवश्यक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में ही होता है।

स्पष्ट है कि राज्यसभा को अनेक अधिकार प्राप्त हैं पर फिर भी लोकसभा की तुलना में राज्यसभा का अधिकार बहुत कम है।

राज्य सभा का आलोचनात्मक मूल्यांकन

राज्य सभा की स्थिति प्रारंभ से ही विवाद का विषय रही है। यद्यपि संविधान सभा का एक बहुत बड़ा बहुमत राज्य सभा की स्थापना के पक्ष में था, लेकिन दूसरी ओर कुछ सदस्यों द्वारा द्वितीय सदन की उपयोगिता पर संदेह व्यक्त करते हुए एकसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना के प्रस्ताव लाये थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति अध्य. अम्बेडकर भी द्वितीय सदन के पक्ष में नहीं थे। राज्यसभा के प्रति की आलोचना प्रमुख रूप से इस प्रकार है —

(1) **रचना संबंधी आलोचनाएं** — रचना की दृष्टि से राज्य सभा की आलोचना के अनेक आधार हैं। सर्वप्रथम यह कहा जाता है कि संघात्मक व्यवस्था के द्वितीय सदन का गठन संघात्मक अर्थात राज्यों की समानता के सिद्धांत पर किया जाना चाहिए। लेकिन भारत में राज्यसभा के गठन में अमरीकी सीनेट या आस्ट्रेलिया संघ के द्वितीय सदन के समान संघात्मकता के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। राज्यसभा का गठन जनसंख्या के आधार पर होता है। गिरधारी लाल के शब्दों में, "यह राज्यसभा नहीं वरन् राज्य विधान मण्डलों के राजनीतिक दलों की छाया है।" ऐसी स्थिति में राज्यसभा के गठन का विशेष उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है।

Scanned with CamScanner

(2) **सीमित संवैधानिक शक्तियाँ** – संविधान के द्वारा राज्यसभा को जो अधिकार एवं शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, उसके आधार पर इसे एक निर्बल सदन कहा जा सकता है। यहाँ तक कि राज्यसभा की स्थिति यह है कि यह साधारण विधेयकों के संबंध में 6 महीने तथा वित्त विधेयकों के संबंध में 14 दिन की देरी लगा सकती है। यह मंत्रि-परिषद को नाममात्र के लिए भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि इसे मंत्रिपरिषद को पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। आलोचकों के अनुसार राज्यसभा की समाप्ति से भारतीय संविधान के कार्यकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्यसभा को वित्त और अवित्तीय विधेयकों के संबंध में देर लगाने की जो शक्ति प्राप्त है वह हानिकारक सिद्ध हुई है।

राज्यसभा का औचित्य

लोकसभा और राज्यसभा में पारस्परिक विरोध की घटनाओं के बावजूद राज्यसभा का अस्तित्व उपयोगी एवं लाभदायक रहा है। यदि यह 'देवताओं का सदन' नहीं बन पायी तो बुराइयों और इसने अपने आपको 'बुराइयों और प्रतिक्रियावादियों का सदन' भी नहीं बनने दिया है। राज्यसभा उपयोगी कार्य करती रही है जो परम्परागत रूप से द्वितीय सदन के द्वारा किये जाते हैं और भारत जैसे विशाल देश के लिए संघात्मक व्यवस्थापिका का द्विसदनात्मक होना नितान्त आवश्यक है। राज्यसभा के अस्तित्व के औचित्य पर भी कोई सन्देह नहीं किया जाता।

इस संबंध में प्रो० मॉरिस जोन्स ने कहा है कि, "यह न तो अमरीकी सीनेट की भाँति अत्यधिक शक्तिशाली है और न ही ब्रिटिश लार्ड सभा या फ्रांस के चतुर्थ गणतंत्र की भाँति अत्यधिक दुर्बल। ~~भारत ... द्वितीय सदन को veto power~~ भारत की तरह द्वितीय सदन को veto power प्राप्त नहीं है रचना की दृष्टि से राज्यसभा (द्वितीय सदन) विश्व का सर्वश्रेष्ठ द्वितीय सदन है।"

Girijesh Singh, Asst. Professor
Dept. Political Science
R.N. College, Pandaul, Madhubani
Class - Deg II (H) Paper - III
& Gen/Sub - II
Date: 30/04/2020

Scanned with CamScanner